न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—434/2015 (2015/00147)223/ब्यावर

1.मिटठन लाल
2. लल्लू राम
3. चुन्नी लाल
4. लक्ष्मण लाल पुत्रान नन्दा जाति घोसी निवासी छावनी, ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. नगर परिषद, ब्यावर जिला अजमेर जरिये आयुक्त।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर राज.।
3. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015, वाद संख्या 62/2013

उपस्थितः—

1. श्री जमील जई एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र सेठी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से।
3. श्रीधर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015, वाद संख्या 62/2013 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजागढ़ी थोरियान तहसील ब्यावर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 49 हाल खसरा नम्बर 60 रकबा 01—04—00 बीघा व साबिक खसरा नम्बर 50 हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 05—01—10 बीघा में वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता नन्दा पुत्र पन्ना खातेदार काश्तकार थे। जिनके इन्तकाल के बाद विरासती नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 13.07.1999 से वादीगण/अपीलार्थीगण के खाते इन्द्राज किया गया। अतः वादीगण/अपीलार्थीगण इसमें खातेदार होकर काबिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

काश्त है तथा इसके चारों ओर बाउन्ड्रीवाल करवा रखी है किन्तु कालान्तर में धारा 90 बी के तहत् जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में इसे प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 नगर परिषद, ब्यावर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 27.05.2013 को जमाबंदी की प्रति लेने पर हुई। वादीगण पुनःखातेदारी की प्राप्ति के अधिकारी है अतःवाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णय एवं डिक्री किये जाने तथा वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जाने तथा प्रतिवादी संख्या 01 का नाम इनमें से हटाकर वादीगण को बहैसियत खातेदार अंकित किया जाने हेतु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01, 02 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त बहस उभयपक्ष सुन वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 17.06.2015 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1129 दिनांक 13.07.1999 पेश होने के बावजूद भी सही रूप से अवलोकन किये बिना वाद को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 50 हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी के बाबत् कोई आदेश सिवायचक हेतु जारी नहीं किया गया उसके बावजूद अपीलार्थीगण के उक्त खसरे को नगर परिषद, ब्यावर के नाम जरिये 90 (बी) दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या 02, 3 द्वारा जो जवाब दावा पेश किया उसमें अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वा पत्र का विशिष्ट डिनायल नही किया गया ना ही प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि का टाईटल व पजेशन उन्हे किस प्रकार प्राप्त हुआ का भी उल्लेख अपने जवाब दावें में उनके द्वारा अंकित नहीं किया गया। तहसीलदार, ब्यावर के क्रमांकःराजस्व/02/6672 दिनांक 04.01.2002 सिवायचक दर्ज कर नगर परिषद, ब्यावर को हस्तातंरण के आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 09.04.2002 द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को आज से पूर्व पहले कभी नही रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 को विरूद्ध वादी/अपीलार्थी निर्णित किया गया जबकि समस्त दस्तावेज पेश किये गये जिनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन किये बिना निर्णय पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की है। अपीलार्थीगण को निर्णय की सत्यापित प्रतिया तो नियमुनसार प्राप्त हो गयी थी परन्तु अपीलार्थीगण ज्ञान के अभाव में एवं अपने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते हुए तथा अपीलार्थी संख्या 01 मिट्ठनलाल की पत्नी जैर इलाज हो गई और अपीलार्थीगण को निर्धारित समयावधि का कोई ज्ञान नहीं रहा। अपीलार्थीगण द्वारा हुई देरी सद्भाविक एवं मान्नीय परिस्थितियों पर सद्भावनापूर्ण होकर क्षम्य योग्य है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

अन्दर मियाद शुमार की जावें एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.डी.1994 पेज 761 एवं आर.आर.टी. 2008(1) पेज 151 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जवाब अपील में निवेदन किया कि विवादित आराजी दिनांक 09.04.2002 को नगर परिषद,ब्यावर के नाम जरिये 90 (बी) दर्ज किया गया जबकि वाद दिनांक 05.06.2013 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी बाबत् जो वाद प्रस्तुत किया गया है जब भूमि 90 बी दर्ज हो चुकी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांटस का वाद विधि सम्मत खारिज किया हैं। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।
6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 3 ने दौराने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियों को धारा 90 बी के तहत् प्रतिवादी नगर परिषद, ब्यावर के नाम अंकित की गई है। वादीगण/अपीलार्थीगण को नियमानुसार धारा 90 बी के तहत् हुए नामान्तकरण की सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलांटस अपील में वर्तमान में किसी भी रूप में खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। अपील अपीलांटस खारिज की जावे।
7. सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की गई बहस पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण हैं एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात वादग्रस्त आराजीयात से सम्बन्धित राजस्व अभिलेख की प्रतियॉ तथा सरकारी दस्तावेज है, जो प्रकरण के निर्णय में सहायक है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।
9. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि विवादित आराजी 90 बी हो जाने से कृषि कार्य के लिए नहीं रही है एवं धारा 90 बी की अपील या रिवीजन सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर अंकित ही नही है तथा ना ही साबिक खसरा नम्बर से बने वर्तमान खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल है तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे वादग्रस्त आराजी में उनके खातेदारी अधिकार निहित रहे हो। वादगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श –1 ग्राम गढ़ी थोरियान की जमाबंदी सम्वत 2020–23 के खाता संख्या 37 की प्रति पेश की है इसमें वादीगण के अग्रज भवाना, चन्दा पि. मन्ना से वल्दियज दर्ज है परन्तु वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 49 व 50 अंकित ही नही है। इस प्रकार वादीगण का न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

से आना नहीं पाया जाता है तथा वादीगण 90 (बी) की कार्यवाही को गलत सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य एव सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये है। जो विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। फलत् अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं एवं विद्धान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. आदेश आज दिनाक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

मिटठन लाल पुत्र नन्दा जाति घोसी निवासी छावनी ब्यावर जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

नगर परिषद, ब्यावर जिला अजमेर जरिये आयुक्त व अन्य ।

अपील संख्याः–434 सन् 2015 (2015/00147) ब नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर मुबर्खे 17 माह 06 सन् 2015.

दावा बाबत्: धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 .

यह अपील ब तारीख 25 माह 03 सन् 2019 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री जमील जई/एहतेशाम चिश्ती एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट, श्री सुरेन्द्र सेठी एड़वोकेट, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है किः– अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्धान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.....–.....)रूपये..–.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 25 माह 03 सन् 2019. को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा		–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2. स्टाम्प अर्जी		–
3. इजराय हुक्नामा	–		3. इजराय हक्नामा		–
4. वकील फीस बाबत्	–		4.मेहनताना वकील		–
मीजान	–		मीजान		–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।